न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार जिला पौडी गढवाल।

उपस्थितः— श्री मनोज कुमार द्विवेदी, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।

फौजदारी परिवाद संख्या — 2174 वर्ष 2022

सी0एन0आर0 नं0 UKPG 06 002497-2022

निर्णय का दिनांक— 18.03.2025

धारा—138 परकाम्य लिखत अधिनियम
थाना—कोटद्वार, पौडी गढवाल ।

शिकायतकर्ता / परिवादी	वासुदेव कुण्डलिया पुत्र स्व0 सुरेशानंद कुण्डलिया निवासी पदमपुर, सुखरौ, कोटद्वार जिला पौडी गढवाल
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता	श्री पवन बंसल
अभियुक्त	रविन्द्र प्रसाद कुण्डलिया पुत्र स्व0 सतीश चन्द्र कुण्डलिया निवासी पदमपुर, निकट लालपुर स्कूल, सुखरौ , पदमपुर, सुखरौ,कोटद्वार जिला पौडी गढवाल
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री संजय जोशी

परिवाद दायर करने का दिनांक	11.10.2022
बयान अन्तर्गत धारा 251 जा0फौ0 अंकित करने का दिनांक	02.09.2024
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	04.10.2024
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	05.03.2025
निर्णय का दिनांक	18.03.2025
सजा सुनाये जाने का दिनांक	18.03.2025

अभियुक्त का विवरणः—

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्वि	सजा की अवधि	जेल में बितायी गयी अवधि
	रविन्द्र प्रसाद कुण्डलिया	09.05.2024	09.05.2024	धारा 138एन0 आई0 एक्ट	दोषसिद्व	दोषसिद्व को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में एक वर्ष के सादा कारावास की	

						सजा एवं मुव0 2,40,000/– रूपये (दो लाख चालीस रूपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माने की धनराशि अदा करने में व्यक्तिकम होने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगेगा । जुर्माने की धनराशि 2,40,000/– रूपये (दो लाख चालीस रूपये) में से मुव0 2,30,000/– रूपये (दो लाख तीस रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किया जाये तथा मुव0 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड राजकोष में जमा किया जाये।	

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त रविन्द्र प्रसाद कुण्डलिया का विचारण धारा–138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है ।

2. परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का अभिवाक् किया गया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य विरासती रूप से पारिवारिक एवं व्यक्तिगत संबंध चले आ रहे है । अभियुक्त द्वारा परिवादी से अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्याकता एवं पिता की विषम स्वास्थ्य की परिस्थिति के दृष्टिगत 2,00,000/–रूपये की धनराशि उधार ली । परिवादी द्वारा अभियुक्त से तलब तकाजा करने पर अभियुक्त ने परिवादी को अपने कुर्माचंल नगर सहाकारी बैंक लि0 शाखा कोटद्वार स्थित खाते के दो चैक कमशः चैक संख्या 011939 मुव0 50,000/–रूपये दिनांक 03.08.2022 एवं चैक संख्या 011936 मुव0 1,50,000/–रूपये दिनांक 08.08.2022 इस आश्वासन के साथ दिया कि उक्त दोनो चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर

भुगतान प्राप्त हो जायेगा । जिसे परिवादी ने अपने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोटद्वार स्थित खाते में भुगतान प्राप्ति हेतु जमा कराया तो उक्त चैक बैंक ने **Fund insufficient** के मैमो के साथ अनादरित कर परिवादी को वापस कर दिया । अभियुक्त द्वारा दिये गये उपरोक्त चैक को बैंक द्वारा अनादरित कर बिना भुगतान के वापस कर देने पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26.08.2022 को एक विधिक नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित करवाया गया, जिसकी प्राप्ति के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा आज दिन तक प्रश्नगत चैक की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। जिस कारण से परिवादी द्वारा उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया।

3. परिवाद दर्ज होने के उपरांत परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला पाते हुए, अभियुक्त को धारा–138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अपराध हेतु विचारण के लिए तलब किया गया।

4. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया । उसका बयान मुल्जिम धारा–251 दं0प्रं0सं0 के अंतर्गत अंकित किया गया । जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि उसने उधार चुकाने के लिए चैक दिया था । उसने बासठ हजार रूपये परिवादी को दे दिया है, शेष धनराशि थोडे दिन में अदा कर देगा । उसे नोटिस नहीं मिला । अभियुक्त ने निर्दोष बताते हुए विचारण की प्रार्थना की ।''

5. परिवादी द्वारा कथित अपराध को साबित करने के लिए कुल 01 साक्षीं को न्यायालय में परीक्षित कराया गया ।

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू–1	वासुदेव कुण्डलिया	परिवादी

6. परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजो को पत्रावली पर दाखिल किया गया ।

क्र0सं	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कागज संख्या 6क	मूल चैक संख्या 011936

2	कागज संख्या 6क / 1	मूल चैक संख्या 011939
2	कागज संख्या 6क / 2	अनादरण मैमो
3	कागज संख्या 6क / 3	नोटिस की प्रति
4	कागज संख्या 6क / 4	डाक रसीद की प्रति
5	कागज संख्या 6क / 5	ट्रेक रिपोर्ट

7. परिवादी साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्त ने अभिकथन किया है कि उसने परिवादी से एक लाख रूपये उधार लिया था, जिसमें से सत्तर–पिचहत्तर हजार रूपये परिवादी को वापस कर दिया था, परिवादी ने डेढ लाख रूपये का चैक गलत लगा दिया है, उसने परिवादी को हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चैक दिया था । अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

8 तदोपरान्त अभियुक्त द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

9. उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलबध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया गया ।

निष्कर्ष

10. प्रश्नगत मुकदमे में अवधारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक किसी ऋण अथवा अन्य अदायगी हेतु परिवादी को परिदान किये गये हैं तथा ऐसा ऋण अथवा दायित्व परिवादी विधितः प्रवर्तनीय है और अभियुक्त द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 में दण्डनीय अपराध किया गया है ?

11. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि प्रश्नगत मामले में परिवादी अपने साक्ष्य के माध्यम से यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधितया प्रवर्तनीय ऋण के प्रयोजनार्थ अपने कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, शाखा कोटद्वार के बैंक खाते के दो चैक क्रमशः चैक संख्या 011939

मुव0 50,000/–रूपये दिनांक 03.08.2022 एवं चैक संख्या 011936 मुव0 1,50,000/–रूपये दिनांक 08.08.2022 परिवादी के नाम दिया गया, जो बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा जानबूझकर प्रश्नगत चैक परिवादी को अपने दायित्व से बचने के लिए दिया गया, जिसके लिए अभियुक्त धारा 138 पराक्रमय लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्व किये जाने योग्य है।

12. परिवादी के उपरोक्त कथनों के विपरीत अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसने परिवादी से एक लाख रूपया उधार लिया था , जिसके एवज में हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चैक दिया था। उसने सत्तर–पिचहत्तर हजार रूपये परिवादी को वापस कर दिये है परिवादी द्वारा अभियुक्त के चैक का दुरूपयोग किया है , जिस कारण से अभियुक्त दोष मुक्त किये जाने योग्य है ।

13. परिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वंय को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी है ।

14. पी0डब्लू–1 ने अपने शपथ पत्र में परिवाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में मूल चैक संख्या 011939 मुव0 50,000/–रूपये दिनांक 03.08.2022 कागज संख्या 6क ; चैक संख्या 011936 मुव0 1,50,000/–रूपये दिनांक 08.08.2022 कागज संख्या 6क/1, अनादरण मैमो कागज संख्या 6क/2 , मुलजिम को प्रेषित नोटिस की प्रति कागज संख्या 6क/3, डाक रसीद कागज संख्या 6क/4 के रूप में तस्दीक किया।

15. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा योजित परिवाद की सफलता उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, परन्तु धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप को सिद्व करने के लिए यह भी आवश्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध के समस्त घटको को अनुक्रम में घटित होना सिद्व किया जा सके। यदि समस्त घटको में से किसी भी एक घटक का घटित न होना पाया जाये, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

के अन्तर्गत योजित कार्यवाही निष्फल हो जाती है । ऐसी स्थिति में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अवलोकन किया जाना आवश्यक हो जाता है । धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 प्रावधानित करती है कि –

138 खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चैक का अनादर– जहॉ एक व्यक्ति किसी बैंकर के पास अपना खाता रखता है और उसे बनाये रखता है, उक्त खाते से भुगतान हेतु किसी राशि का कोई चैक किसी व्यक्ति को, किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के आंशिक या पूर्ण भुगतान स्वरूप प्रदान करता है और उक्त चैक बैंक द्वारा बिना भुगतान किये, इस कारण वापस कर दिया जाता है कि उक्त खाते में धन की अपर्याप्तता है या खाता धारक एवं बैंक के मध्य करार द्वारा निश्चित की गयी धन भुगतान सीमा से, चैक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अधिक है तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने का दोषी माना जायेगा और वह अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा और वह ऐसे कारावास से दण्डित होगा (जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है) या चैक की धनराशि के दो गुने अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा या अर्थदण्ड और कारावास दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

इस धारा के प्रावधान उस समय तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि –

(क) चैक जारी किये जाने की तिथि से **(**तीन माह**)** के अन्दर अथवा वैधता की तिथि तक, जो अग्रिम हो, बैंक को प्रस्तुत न किया हो,

(ख). अदाता या सम्यक में धारक, जैसी कि स्थिति हो, कथित राशि के भुगतान की मॉग चैक के आदेश से चैक के भुगतान न होने एवं वापसी की सूचना प्राप्ति के (तीस दिनों के भीतर) करें, और

(ग). ऐसे चैक का आवेदक आदाता को या सम्यक अनुक्रम में धारक, जैसी कि स्थिति हो, को उक्त धनराशि का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर करने में असफल होता है ।

स्पष्टीकरण –इस धारा के उद्देश्य से '' ऋण या अन्य दायित्व का अर्थ विधितः अनुयोज्य ऋण या अन्य दायित्व है ।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय **निशांत अग्रवाल**

बनाम कैलाश कुमार शर्मा, 2013 (2) यू0सी0, 1261 , में धारा के लागू होने की निम्न शर्ते बतायी है–

1. चैक का जारी किया जाना,
2. चैक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया,
3. चैक बिना भुगतान के वापस लौटाना,
4. लिखित नोटिस भेजा जाना ,
5. नियत अवधि में चैक राशि का भुगतान न किया जाना ।

17. न्याय निर्णय **कृष्ण जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रेयाजी हेगडा (2008) 2 एस0सी0सी0, क्रिम0 166** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विधिक रूप से वसूलनीय ऋण की विधिमानता अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा का मामला नहीं होता है, वह केवल चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा उत्पन्न करता है कि उसे किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया है ।

18. न्याय निर्णय **रंगप्पा बनाम श्रीमोहन , सुप्रीम, 2010 (4) सुप्रीम, 196** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा में प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व की विद्यमानता भी शमिल होती है । उपधारणा संभाव्यताओं की प्रबलता से किया जा सकता है।

19. यहॉ पर अधिनियम की धारा 118 (क) एवं धारा 139 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है–

20. धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के बारे में उपधारणा– जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जायेगी:

21. (क) प्रतिफल के विषय– यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, पराक्रामित या अंतरित हो चुकी हो , तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, प्रष्ठांकित, पराक्रामित या अंतरित की गयी थी ।

22. **अधिनियम की धारा 139 यह प्रावधानित करती है कि धारक के पक्ष में उपधारणा**— ''जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए, यही उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या सम्पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है । ''

23. उपरोक्त विधिक प्रावधानों तथा संदर्भित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत धारक के पक्ष मे ंविधिक उपधारणा सृजित होती है, जो कि खण्डनीय प्रकृति की है । अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से इस उपधारणा का खण्डन किया जा सकता है ।

24. प्रस्तुत मामले में परिवाद पत्र के अनुसार अभियुक्त ने विधिक अदायगी के एवज में दो चैक क्रमशः चैक संख्या 011939 मुव0 50,000/—रूपये दिनांक 03.08.2022 एवं चैक संख्या 011936 मुव0 1,50,000/—रूपये दिनांक 08.08.2022 , कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक शाखा कोटद्वार का परिवादी के नाम स्वहस्ताक्षरित कर दिया गया, जो परिवादी द्वारा बैंक मे ंपेश करने पर "Fund insufficient" की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया। चैक अनादरण के पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को डिमाण्ड नोटिस भेजा जो अभियुक्त पर तामील हुआ । उसके बावजूद भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित धनराशि परिवादी को वापस नहीं की, जिस कारण यह परिवाद न्यायालय में संस्थित हुआ ।

25. प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम इस न्यायालय को निर्धारित करना है कि क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी के प्रति अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्वों को उन्मोचित करने के लिए अपने खाते में से चैक दिया गया । यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि धारा 138 में प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार '' इस धारा के प्रयोजनार्थ '' ऋण अथवा दायित्व'' से अभिप्राय विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व है । '' इस प्रकार प्रथम स्तर पर ही न्यायालय को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के इस घटक का

निर्धारण किया जाना आवश्यक है कि परिवाद मे ंदाखिल प्रश्नगत चैक को अभियुक्त द्वारा परिवादी को उसके प्रति अपनी किसी विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व से उन्मोचित होने के प्रयोजनार्थ दिया गया था अथवा नहीं ।

26. अभियुक्त द्वारा, प्रश्नगत चैक परिवादी को उसके प्रति विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्वों के निर्वहन होने के प्रयोजनार्थ दिया गया। प्रश्नगत चैक के सबंध में परिवादी का यह कथन है कि अभियुक्त ने अदायगी के एवज में परिवादी को अपने खाते के दो चैक क्रमशः चैक संख्या 011939 मुव0 50,000/–रूपये दिनांक 03.08.2022 एवं चैक संख्या 011936 मुव0 1,50,000/–रूपये दिनांक 08.08.2022 कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक शाखा कोटद्वार परिवादी के नाम निर्गत किया गया।

27. परिवादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में प्रश्नगत चैक, नोटिस की प्रति, बैंक अनादरण मैमो, रजिस्ट्री रसीद इत्यादि दाखिल किये गये है । अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक उसके खाते का होना एवं चैक पर उसके हस्ताक्षर होने से अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 एवं धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में इन्कार नहीं किया है । अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले में धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत परिवादी के पक्ष में यह प्रारम्भिक उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त ने परिवादी को अपने किसी विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व से निर्वहन होने के लिए प्रश्नगत चैक दिया था। परिवादी के पक्ष में उपरोक्त आशय की प्रारम्भिक उपधारणा का सृजन होने पर, अब सबूत का भार अभियुक्त पर होगा कि वह यह साबित करे कि उसके द्वारा प्रश्नगत चैक परिवादी को किसी भी विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व के निर्वहन में नहीं दिया गया था।

28. प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष द्वारा स्वंय के ऊपर पडे सबूत के भार का खण्डन करने के लिए यह अभिकथन किया गया है कि उसने परिवादी से एक लाख रूपया उधार लिया था , जिसके एवज में हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चैक दिया था। उसने सत्तर–पिचहत्तर हजार रूपये परिवादी को वापस कर दिये है परिवादी द्वारा अभियुक्त के चैक का

दुरूपयोग किया है ।

29. उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक उसके खाते का होना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होने से अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 एवं 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्वीकार किया है, परन्तु अभियुक्त का कथन है कि उसने परिवादी से मात्र एक लाख रूपये उधार लिये थे, जिसके एवज में प्रश्नगत चैक दिये थे । अभियुक्त का यह भी कथन है कि उसने परिवादी को सत्तर–पिचहत्तर हजार रूपये अदा कर दिये है, परन्तु अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज अथवा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से उधार ली गयी धनराशि बावत पूर्व में धनराशि अदा कर दी हो, मा.त्र अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 एवं 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक लाख रूपये उधार लिये जाने का कथन किया है । परिवादी पी0डब्लू–1 से बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में अन्य बातो के अलावा पी0डब्लू–1 ने यह कथन किया कि ''**अभियुक्त मेरा रिश्तेदार है । मैंने अभियुक्त को दो लाख रूपये दिये थे । पैसे अभियुक्त को मैंने एक साथ नहीं दिये थे, बल्कि अलग करके दिये थे ।** '' आगे प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि '' **यह कहना सही है कि अभियुक्त ने मुझे उपरोक्त राशि में से पैतालीस हजार रूपये न्यायालय में अदा कर दिये गये है**।'' परिवादी द्वारा दाखिल प्रश्नगत चैकों में क्रमशः 1,50,000/–रूपये एवं 50,000/–रूपये कुल दो लाख रूपये की धनराशि अंकित है, जिससे परिवादी के इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से दो लाख रूपये उधार लिये गये और उसके एवज में प्रश्नगत दो चैक क्रमशः 1,50,000/–रूपये एवं 50,000/–रूपये के परिवादी को प्रदान किये गये । अतः किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा 251 एवं 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये कथन को बतौर साक्ष्य नहीं पढा जा सकता। इस संबंध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि निर्णय **मैसर्स सुकांत पेपर्स बनाम ओम प्रकाश जैन व अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 437 सन् 2002 निर्णीत दिनांक 20.12.2020** में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है

कि अभियुक्त द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया कथन बचाव साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता । बचाव पक्ष को अपने कथनो को ठोस साक्ष्य द्वारा सिद्व किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियुक्त की ओंर से धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये कथनो के समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा उधार ली गयी धनराशि के भुगतान के एवज में दिये जाने का कथन किया है और इस तथ्य की पुष्टि अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ पत्र से की है । इस तरह से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क भी बलहीन है ।

30. इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से प्रश्नगत चैक अभियुक्त का होने तथा उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने एवं अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक परिवादी को विधिक देयक धनराशि के भुगतान के एवज में दिये जाने के संबंध में कोई संदेह नहीं है।

31. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों में धारा 138 (1) परक्राम्य लिखत अधिनियम के द्वारा अधिरोपित उपधारणा के प्राथमिक भार का अभियुक्त खण्डन करने में असफल रहा है । प्रस्तुत मामले में उपरोक्त वर्णित विधिक व्यवस्थाओं तथा उपधारणाओं के चलते अभियुक्त पर यह सबूत का भार था कि वह इस बात को साबित करता कि प्रश्नगत चैक उसके द्वारा किसी विधि प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के उन्मोचन प्रयोजनार्थ परिवादी को नहीं दिया गया था । अभियुक्त स्वंय के ऊपर आयी इस उपधारणा का खण्डन करने में असफल रहा है, जबकि परिवादी द्वारा सफलतापूर्वक युक्तियुक्त संदेह से परे यह स्थापित किया गया है कि प्रश्नगत विवादित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को अपने विधि प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया है ।

32. उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिस्थितियों के विद्यमान रहते न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि प्रश्नगत दो चैक क्रमशः चैक संख्या 011939 मुव0 50,000/—रूपये दिनांक 03.08.2022 एवं चैक संख्या 011936 मुव0 1,50,000/—रूपये दिनांक 08.08.2022 कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक

शाखा कोटद्वार अभियुक्त द्वारा परिवादी के प्रति विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्वों के निर्वहन होने के प्रयोजनार्थ दिया गया था ।

33. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अवर्धाय विवाद्यक के निस्तारण के बाद इस न्यायालय को यह विनिश्चय करना है कि क्या प्रश्नगत चैक संबंधित बैंक द्वारा अनादरित किया गया । इस संबंध में परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक कागज संख्या 6क व 6क/1 पत्रावली पर दाखिल किया है । जिसके अवलोकन से दर्शित है कि प्रश्नगत चैक बैंक द्वारा "Fund insufficient" की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया । इस संबंध में ध ारा 146 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अवलोकन किया जाना प्रासंगिक है । **<u>धारा 146 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार</u> – इस अध्याय के अधीन न्यायालय प्रत्येक कार्यवाहियों के संबंध में बैंक के स्लिप को पेश करने पर या ज्ञापन उस पर प्राधिकृत चिन्ह रहने पर, सूचित करते हुए कि चैक अनादरण किया गया, ऐसे चैक के अनादरण के तथ्य को उपधारणा करेगा, तब कि जब तक कि ऐसा तथ्य अप्रमाणित नहीं किया जाता है** । इस प्रकार धारा 146 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक बैंक द्वारा जारी वापसी ज्ञापन को चैक के अनादरण के संबंध में तब तक प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जायेगा, जब तक कि उसको अनन्यतः अप्रमाणित न किया गया हो ।

34. उपरोक्त दोनो अवधार्य विवाद्यकों के निस्तारण के बाद अब न्यायालय को यह निश्चित करना है कि क्या अभियुक्त पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के परन्तुक (ग) के अनुसार विधिक डिमाण्ड नोटिस की तामीली हुई है ?

35. इस संबंध में पत्रावली पर परिवादी ने अभियुक्त को प्रेषित नोटिस की प्रति कागज संख्या 6ग/3 ,नोटिस की डाक रसीद कागज संख्या 6ग/4 एवं डाक ट्रेक रिपोर्ट कागज संख्या 6ग/5 दाखिल किया है। डाक ट्रेक रिपोर्ट में अभियुक्त को प्रेषित समन तामील होना दर्शाया गया है । इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोटिस की तामीली अभियुक्त पर होना पाया जाता है

36. उपरोक्त तीन विवाद्यकों के निस्तारण के बाद अब न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि क्या अभियुक्त द्वारा धारा 138 परक्राम्य

लिखत अधिनिमय के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया । **जुगेश सहगल बनाम शमशेर सिंह गोगी, 2009 (66) A.C.C. 696 S.C.** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जब धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के समस्त घटकों का समाधान हो जाये, तब ही उस स्थिति में यह माना जा सकता है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित हुआ है।प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त रूप से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त घटको का घटित होना स्थापित किया गया है, इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को कारित किया गया।

37. दाण्डिक न्याय का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि दोषसिद्वि के लिए अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध के आरोप का संदेह से परे साबित होना अनिवार्य है । प्रस्तुत मामले में साक्ष्य के विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहॅुचा है कि परिवादी/अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप को संदेह से परे साबित किया गया है । अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्व पाया जाता है ।

38. दोषसिद्व रविन्द्र प्रसाद कुण्डलिया न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये । दोषसिद्व के व्यक्तिगत बंधपत्र को निरस्त किया जाता है तथा उसके जामिनान को उनकी जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। उभय पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए पत्रावली लंच बाद पेश हो ।

दिनांक– 18.03.2025

(मनोज कुमार द्विवेदी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटद्वार, पौडी गढवाल।

<u>लंच बाद</u>

दोषसिद्व को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया । दोषसिद्व के द्वारा कथन किया कि वह 48 वर्षीय व्यक्ति है तथा व्यवसाय कर प्रतिदिन प्राप्त होने वाली आय से अपना व परिवार का पालन पोषण करता है , जेल भेजे जाने से उसके व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पडेगा । इसलिए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये । परिवादी की ओर से दण्ड के प्रश्न पर कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी कथन किया गया कि उसके द्वारा दौराने वाद परिवादी को कुल मुव0 45,000/–रूपये (पैतालीस हजार रूपये) की धनराशि अदा की जा चुकी है, जिसे समायोजित कराने की प्रार्थना की गयी । परिवादी की ओर से दण्ड के प्रश्न पर कोई कथन नहीं किया गया है । परिवादी द्वारा भी बतौर पी0डब्लू–1 अपनी प्रतिपरीक्षा में दौरान वाद अभियुक्त द्वारा पैतालीस हजार रूपये की धनराशि उसे अदा करना स्वीकार किया है ।

दोषसिद्व के कथनों, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियो ंको दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्व के विरूद्व निम्न दण्डादेश पारित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी ।

<u>दण्डादेश</u>

1. दोषसिद्व रविवन्द्र प्रसाद कण्डलिया को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में एक वर्ष के सादा कारावास की सजा से और मुव0 2,40,000/–रूपये (दो लाख चालीस हजार रूपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है । जुर्माने की धनराशि अदा करने में व्यक्तिक्रम होने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगेगा ।

2. जुर्माने की धनराशि 2,40,000/–रूपये (दो लाख चालीस हजार रूपये) में से मुव0 2,30,000/–रूपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किया जाये तथा मुव0 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड राजकोष में जमा किया जाये। परिवादी प्रतिकर की धनराशि 2,30,000/–रूपये नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है । दौरान

विचारण अभियुक्त द्वारा परिवादी को अदा धनराशि 45,000/—रूपये (पैतालीस हजार रूपये) की धनराशि अर्थदण्ड की धनराशि से मुजरा की जाकर परिवादी को देय कुल प्रतिकर की धनराशि में समायोजित होगी ।

3. दोषसिद्व की ओर से धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में बन्ध पत्र दाखिल किये गये ।

4. अभियुक्त का दोषसिद्व वारण्ट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु संबंधित कारागार भेजा जाये । वर्तमान मामले में अभियुक्त द्वारा बितायी गयी कारवास की अवधि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 व तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन नियमानुसार समायोजित किया जाये ।

5. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को तत्काल नियमानुसार नि :शुल्क प्रदान की जाये ।

दिनांक— 18.03.2025

(मनोज कुमार द्विवेदी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटद्वार, पौडी गढवाल।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर आज उद्घोषित किया गया।

दिनांक— 18.03.2025

(मनोज कुमार द्विवेदी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटद्वार, पौडी गढवाल।

Appendix of Evidence (का परिशिष्ट)

List of presention/defence/court witnesSe

Anexure 1
अभियोजन

साक्षी कमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू–1	वासुदेव कुण्डलिया	परिवादी

बचाव साक्षी (यदि कोई हो)

रैंक	नाम	साक्षी का प्रकार

न्यायालय साक्षी (यदि कोई हो)

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार
–	–	–

Anexure-2
अभियोजन/बचाव साक्ष्य/न्यायालय के प्रदर्शो का विवरण
अभियोजन

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कागज संख्या 6क	मूल चैक संख्या 011936
2	कागज संख्या 6क/1	मूल चैक संख्या 011939
2	कागज संख्या 6क/2	अनादरण मैमो
3	कागज संख्या 6क/3	नोटिस की प्रति
4	कागज संख्या 6क/4	डाक रसीद की प्रति
5	कागज संख्या 6क/5	ट्रेक रिपोर्ट

बचाव पक्ष

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण

न्यायालय प्रदर्श

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण

वस्तु प्रदर्श

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण

दिनांक–18.03.2025

(मनोज कुमार द्विवेदी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटद्वार, पौडी गढवाल।